(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नगर पंचायत सृजन संबंधी शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 के अनुसार प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की कुल जनसंख्या, मैदानी क्षेत्रों में 20,000 या उससे अधिक (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) होनी चाहिए। जिलाधिकारी इटावा के पत्र दिनांक 19.08.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में उल्लिखित है कि ग्राम पंचायत महेवा के समीपवर्ती ग्रामों- बहेड़ा, उझियानी, आनेपुर, मुकुटपुर को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या-16205 मात्र है, जो निर्धारित मानक से कम है। अतः ग्राम पंचायत महेवा को नगर पंचायत बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

ए0 के0 शर्मा
मंत्री,
नगर विकास
विभाग।